

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय -2 की  
धारा-4 (1) ख (12)

मैनुअल संख्या - 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे  
कार्यक्रमों से फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया कंपनी सचिव, कार्यालय उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उज्जवल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून पिन-248 006 को डाक द्वारा या फैक्स नम्बर 2761549 या ई-मेल sec\_ujvnl @ujvnl.co.in. पर सूचित करें ।

## मैनुअल –12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों से फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं ।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० द्वारा जनता के लिये कोई भी अनुदान योजना/कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है । उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० के अधिकतर परिचालनांतर्गत विद्युत गृह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० द्वारा एक जिम्मेदार कम्पनी होने के कारण परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक विकास के मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है । साथ ही उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० परियोजना के निकट अविकसित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी ध्यान दे रहा है। इस हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० सामुदायिक विकास कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल इत्यादि सुविधाओं के विकास हेतु समुचित नीति तैयार कर रहा है।